अज न्यायालय **:** अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या **1,** बालोतरा
जिला बालोतरा।

पीठासीन अधिकारी	**:**	डॉ**.** रामचन्द्र चौहान**,** आर**.** जे**.** एस**.** **(UID No. RJ00979)**
निर्णय दिनांक	**:**	**16.03.2026**
फौजदारी मूल प्रकरण संख्या	**:**	**797/2025**
सी**.**आई**.**एस**.** नंबर	**:**	**797/2025**
सी**.**एन**.**आर**.** नंबर	**:**	**RJBA02-001592-2025**
अंतर्गत धारा	**:**	**19/54** राजस्थान आबकारी अधिनियम**, 1950**
पुलिस थाना	**:**	जसोल।

अभियोगी **:-**

राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी, बालोतरा।

उपस्थित **:-** अभियोजन अधिकारी ।

बनाम

अभियुक्त **:-**

1. छगनाराम पुत्र लालाराम, निवासी मेवानगर, हाल असाडा,
पुलिस थाना जसोल, जिला बालोतरा।

उपस्थित **:-** श्री विरेन्द्रसिंह महेचा, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त।

-: <u>प्रकरण का संक्षिप्त विवरण</u> **:-**

अपराध की तिथि	24.10.2024
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	24.10.2024
आरोपपत्र प्रस्तुत किये जाने की तिथि	21.08.2025
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	16.12.2025
साक्ष्य आरंभ किये जाने की तिथि	16.12.2025
निर्णय आरक्षित किये जाने की तिथि	16.03.2026
निर्णय की तिथि	16.03.2026
दण्ड दिये जाने की तिथि **(**यदि हो तो**)**	16.03.2026

-: <u>अभियुक्त का विवरण</u> **:-**

अभियुक्त की क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर छोडे जाने की तिथि	अभियुक्त के आरोप का विवरण	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दिये गये दण्ड का विवरण यदि कोई हो तो	धारा 468 बी.एन.एस.एस. के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त

							द्वारा अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि
1.	छगनाराम	05.11.2024	05.11.2024	19/54 राज. आबकारी अधिनियम, 1950	दोषसिद्ध	परीविक्षा अधिनियम की धारा 4(1) व 5 का लाभ दिया गया	------

-: अभियोजन / बचाव / न्यायालय गवाह की सूची **:-**

क. अभियोजन गवाह

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पीडब्ल्यू 1	श्री मनोहरदान	मौका मौतबिर

ख. बचाव गवाह

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
------	---------	----------

ग. न्यायालय गवाह

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
------	---------	----------

-: अभियोजन / बचाव / न्यायालय प्रदर्श सूची **:-**

क. अभियोजन प्रदर्श

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श पी. संख्या
1.	फर्द बरामदगी	1
2.	फर्द नक्शा नजरी बरामदगीस्थल	2

ख. बचाव प्रदर्श

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श डी. संख्या
------	---------	------

ग. न्यायालय प्रदर्श

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श सी. संख्या

----	----------	-----

निर्णय दिनांक - 16.03.2026

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 24.10.2024 को निम्बाराम हैड कानि. मय जाब्ता सरकारी वाहन व अनुसंधान बॉक्स के लोकल व स्पेशल एक्ट की कार्यवाही हेतु रवाना थाना से रवाना होकर गश्त करते जरिये मुखबीर सूचना अनुसार सरहद सिवाना फांटा से असाडा जाने वाली मेघा हाईवे सड़क पर पहुंचे व नाकाबंदी शुरू की तो दौराने नाकाबंदी वक्त 8.00 पीएम पर एक व्यक्ति अपने कंधे पर एक कट्टा लेकर असाडा की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया, जो पुलिस पार्टी को बावर्दी देखकर अपने हाथ में लिए कट्टा को सड़क किनारे रखकर भागने लगा, जिस पर वह उक्त कट्टा के पास खड़े रहकर कानि. प्रेमदान व मनोहरदान उक्त शक्स के पीछे दौड़े मगर वह शक्स अंधेरा का फायदा उठाकर झाडियों में भागने में सफल हो गया। उक्त शक्स की पहचान कानि. प्रेमदान ने छगनाराम पुत्र लालाराम, निवासी मेवानगर हाल असाडा के रूप में की। आस पड़ौस में कोई व्यक्ति स्वतंत्र मौतबीर रहने को तैयार नहीं होने से जाब्ता में से कानि. प्रेमदान व मनोहरदान को मौतबीर मामूर कर उक्त दोनों मौतबीरान के रूबरू उक्त कट्टा को चैक किया तो उक्त कट्टे के अंदर 54 पव्वे देशी शराब घूमर के भरे हुए मिले, उक्त सभी पव्वों पर घूमर देशी शराब तथा केवल राजस्थान में बिक्री के लिए लेबल लगे हुए थे। उक्त शराब को कब्जा पुलिस लिया जाकर उक्त पव्वों में से एक पव्वा वास्ते रासायनिक परीक्षण हेतु निकालकर सीलचेपा किया व शेष पव्वों को उसी कट्टे में रखकर वास्ते वजह सबूत सीलचेपा किया। बाद मौका कार्यवाही रवाना होकर मय बरामदा अवैध शराब के थाना आये आदि.....।

2. उक्त आशय की रिपोर्ट पर पुलिस थाना जसोल द्वारा प्रकरण संख्या 214/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में पंजीबद्ध किया जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्त छगनाराम के विरूद्ध धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के अपराध में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। उक्त पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त छगनाराम के विरूद्ध उक्त धारा में प्रसंज्ञान लिया गया व प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 19/54 राजस्थाना आबकारी अधिनियम के तहत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने उक्त आरोप को सुन समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। दौराने विचारण अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहों को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया। दौराने विचारण अभियुक्त की ओर से फर्द बरामदगी शराब, नक्शा नजरी बरामदगी स्थल, फर्द गिरफ्तारी व एफ.एस.एल. रिपोर्ट को स्वीकार करने पर अभियोजन के शेष साक्षीगण की तलबी बंद की गई।

4. अभियुक्त के बयान मुलजिम लिये गये। अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को सही होना बताया व बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं की।

5. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गयी। बहस के प्रकाश में पत्रावली का उद्योपांत अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु हैं:–

(1) **"**क्या दिनांक **24.10.2024** को समय **08.00** पीएम पर सरहद मौजा सिवाना फांटा रोड़ पर अभियुक्त छगनाराम के अनन्य व चैतन्य कब्जे के कट्टे में से **54** पव्वे घूमर देशी शराब के भरे हुए**,** बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र या परमिट के बरामद हुए **?"**

(2) यदि हां तो उचित दण्डादेश क्या होगा ?

विचारणीय बिन्दु संख्या **1 :–**

6. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखे तो इस संबंध में मनोहरदान पी.ड.1 के कथनानुसार दिनांक 24.10.2024 को निम्बाराम हैड कानि. के साथ वह मय और कानि. प्रेमदान जरिये सरकारी वाहन मय अनुसंधान बॉक्स के वक्त 03:30 पीएम पर लोकल एवं स्पेशल एक्ट की कार्यवाही जसोल थाना से रवाना होकर कस्बा जसोल, मेवानगर, वरिया, कालुड़ी में गश्त करते हुए वक्त 07:30 पीएम पर सरहद टापरा पहुंचे तब निम्बारामजी को जरिये मुखबीर इत्तिला मिली कि छगनाराम पुत्र लालाराम निवासी मेवानगर हाल असाडा वाला अवैध शराब का धंधा करता है जो सिवाना फांटा की तरफ से असाडा गांव में शराब बेचने जायेगा। उक्त सूचना पर वह मय जाब्ता सरहद सिवाना फांटा पर पहुंचे और नाकाबंदी शुरू की। दौराने नाकाबंदी वक्त 08:00 पीएम पर असाडा की तरफ से एक व्यक्ति कंधे पर कट्टा लिये हुए आता दिखायी दिया जो जाब्ता को देखकर कट्टे को सड़क किनारे रखकर बबूल की झाडियों में से भागने लगा। उक्त व्यक्ति का पीछा किया मगर व्यक्ति भागने में सफल हो गया। प्रेमदान उक्त व्यक्ति को पहले से जानता था। प्रेमदान ने उक्त व्यक्ति की पहचान छगनाराम पुत्र लालाराम के रूप में की। आसपास कोई स्वतंत्र मौतबिर नहीं मिलने पर निम्बाराम जी ने उसे व प्रेमदान को मौतबीर मामूर कर उनके रूबरू छगनाराम द्वारा रखे गये उक्त कट्टे की तलाशी ली जिसमें घूमर देशी शराब के 54 पव्वे भरे हुए पाये गये। उक्त सभी पव्वे एक ही वैरायटी के होने से उन पव्वों में एक पव्वा वास्ते रासायनिक परीक्षण निकालकर सीलचेपा किया व शेष पव्वों को उसी कट्टे में डालकर मार्क अंकित किया। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 1 है। मौके पर ही फर्द मौका नक्शा बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 2 उसके रूबरू मुर्तिब किया गया। बाद मौका कार्यवाही मय जब्तसुदा अवैध देशी शराब के थाने आकर प्रकरण दर्ज करवाया गया। उक्त गवाह ने दौराने जिरह भी ऐसा कोई कथन नहीं किया जो उसकी मुख्य परीक्षा का खण्डन करता हो।

साक्ष्य विवेचन

7. इस प्रकार अभियोजन की ओर से लाई गई उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का सुक्ष्मता से विवेचन करे तो यह संदेह से परे साबित होता है कि दिनांक 24.10.2024 को सिवाना फांटा रोड़ पर अभियुक्त के चैतन्य कब्जे के कट्टे में से 54 पव्वे घूमर देशी शराब के भरे हुए बरामद हुये जिनको अपने कब्जे में रखने व बेचने का कोई अनुज्ञा पत्र या परमिट नहीं था। अभियोजन कहानी की पुष्टि तब ओर अधिक हो जाती है जब दौराने विचारण अभियुक्त की ओर से फर्द जब्ती, फर्द नक्शा नजरी बरामदगीस्थल, फर्द गिरफ्तारी, एफ.एस.एल. रिपोर्ट को स्वीकृत किया जाता है। बरामद शराब अवैघ लिंकर है या नहीं उक्त के संबध में फर्द बरामदगी, फर्द नक्शा मौका बरामदगीस्थल व एफ.एस.एल. रिपोर्ट को स्वीकृत करने से यह भी सुनिश्चित हो गया कि अभियुक्त से बरामद शराब अवैध लिंकर ही था। ऐसी स्थिति में बरामदगी के मौतबिर मनोहरदान के कथनों एवं स्वीकृत फर्दात के आधार अभियोजन पक्ष संदेह से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को साबित करवाने में पूर्ण रूप से सफल रहा है। अतः अभियुक्त आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किए जाने योग्य है।

आदेश

8. अतः अभियुक्त छगनाराम पुत्र लालाराम, निवासी मेवानगर, हाल असाडा, पुलिस थाना जसोल को धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(डॉ.रामचन्द्र चौहान)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
संख्या 1, बालोतरा।

सजा के प्रश्न पर

9. दौराने बहस अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क रहा कि अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। अभियुक्त काफी समय से अन्वीक्षा की पीड़ा भुगत रहा है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध अपराध में परिवीक्षा का लाभ दिया जाए।

इस बहस का विरोध करते हुए विद्वान् अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को दोषसिद्ध अपराध में सख्त सजा दिए जाने की प्रार्थना की।

परस्पर विरोधी कथनों पर गौर किया गया। पत्रावली का पुनः अवलोकन किया गया। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा विचारण की समयावधि व अभियुक्त की आयु को देखते हुए प्रकरण-हालात में अभियुक्त को दोषसिद्ध अपराध में तुरन्त दण्डादेश दिए जाने के बजाय परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

10. अतः अभियुक्त छगनाराम पुत्र लालाराम, निवासी मेवानगर, हाल असाडा, पुलिस थाना जसोल को धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के अपराध में दोषी पाये जाने पर तुरन्त दण्डादेश देने के बजाय परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त एक वर्ष की अवधि के लिए दस हजार रुपये का जमानतनामा व इतनी ही राशि का मुचलका समाज में शांति एवं सद्व्यवहार बनाये रखने, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने व न्यायालय के द्वारा आहूत करने पर सजा भुगतने के लिए तैयार रहने के आशय का पेश कर तस्दीक करा देवे तो अभियुक्त को इस प्रकरण में परिवीक्षा पर छोड़ा जावे। साथ ही अभियुक्त इसी अधिनियम की धारा 5 के तहत अभियोजन व्यय के रूप में 700/-रुपये अक्षरे सात सौ रुपये न्यायालय में जमा करायेगा। अभियुक्त की नियमित पेशी बाबत पेश जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है। अपील होने की सूरत में अभियुक्त धारा 481 बीएनएसएस के तहत 10,000/-रुपये की जमानत व इसी कदर राशि का मुचलका पेश करें, जो आगामी छः माह तक प्रभावी रहेंगे।

मामले में जब्तशुदा शराब व अन्य वजह सबूत को नियमानुसार बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन निस्तारित किया जावे।

(डॉ. रामचन्द्र चौहान)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
संख्या 1, बालोतरा।

11. निर्णय आज दिनांक 16.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

SULOCHANA GAHLOT
Steno Gr. I
"Authenticated document"
Digitally signed by SULOCHANA GAHLOT
Location: Balotra
Date: 2026.03.19 12:11:12 +0530

(डॉ. रामचन्द्र चौहान)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
संख्या 1, बालोतरा।